

2/63/2023

तारीख रजु

बनाम

रघुवीर

अमरसिंह वगैरा

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
---------	-----------------------------------	--

2023

वकिल प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकिल सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः उभयपक्षकरान् को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 328, 444/2361, 446/2362, 982, वाके ग्राम साँखर तहसील कटूमर में प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूँकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज हो तो दिनांक 30.05.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.05.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलयर)

30/5/23

मुद्राव संरोकेन 29/5/23
नाम Suryansh
पत्रावली दिनांक 21/5/23
को पेश हो।

21/8/23

[Signature] उपस्थित
साबिक आदेश दिनांक.....
की पालना में पत्र, नी वास्ते.....
दिनांक 16/10/23 को पेश हो:



11/11/23

साचिक आदेश दिनांक

की पालना में पत्र भी बसते

दिनांक 15/11/23 को पत्र हो

उपखण्ड अधिकारी
कतपत्र (अलवर)

15/11/23

साचिक आदेश दिनांक

की पालना में पत्र भी बसते

दिनांक 22/11/23 को पत्र हो

उपखण्ड अधिकारी
कतपत्र (अलवर)

21/11/24

पुस्तक संरीक्षण नं./P.O.
दिनांक 21/11/24
पालनी दिनांक 18/11/24
को पत्र हो।

18/11/24

पुस्तक संरीक्षण नं./P.O.
दिनांक 18/11/24
पालनी दिनांक 6/11/24
को पत्र हो।

16/11/24

पत्रावली प्राप्त कर्मियों पत्रों के प्रत्येक
पत्र पर मूल काट के साथ पत्रावली
पत्रों में प्रत्येक पत्र पर प्रत्येक मूल
काट के खारिज कर दिया है। प्रत्येक
पत्र पर RTI के माध्यम से पत्रावली जोन का कोटा
प्रोचिय नही है प्रत्येक पत्र भी खारिज
किया जाता है पत्रावली कलक भुक्त
एक नमूने से कम है मूल काट के
सलान रहे सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
कतपत्र (अलवर)